



RAJASTHAN NURSING COUNCIL JAIPUR

B-39, Sardar Patel Marg, C- Scheme, Jaipur, Ph- 2222923

दिनांक 01-12-2020

क्रमांक:-आर.एन.सी./शैक्ष0/2020/ 1124

निदेशक (अराजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें,
राज0 जयपुर।

विषय : शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु निजी क्षेत्र में संचालित जीएनएम प्रशिक्षण के मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों को छात्र आवंटन हेतु पात्र संस्थानों की सूची भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निर्देशानुसार श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के आदेश क्रमांक: प्रशि./जी 88 (पार्ट-1)/2014-15/1410 दिनांक 31.10.2014 के द्वारा निजी नर्सिंग संस्थानों को छात्र उपलब्ध कराने के क्रम में सीटों के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रदेश में सत्र 2020-21 हेतु निजी क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त (छात्र आवंटन हेतु पात्र जीएनएम प्रशिक्षण स्कूलों की सूची (118, 28, 02 एवं 01) प्रेषित की गई थी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि Shekhawati Nursing School, Dundlod, Dist. Jhunjhunu, सीट -30 को भी सत्र 2020-21 की छात्र-आवंटन सूची में सम्मिलित करने का श्रम करावें।

(महेश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:-आर.एन.सी./शैक्ष0/2020/ 1124

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. श्रीमान उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. श्रीमान पदेन अध्यक्ष (आर.एन.सी.) एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राज0, जयपुर।
3. श्रीमान संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राज0, जयपुर।

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर